न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

1 प्र. सं. 13/2013 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 14.10.2013

रामलाल पिता भगवानलाल तेली बनाम निवासी बोजुन्दा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

.....निगराकार

1 भैरूलाल पिता भगवानलाल तेली निवासी बोजुन्दा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

2 श्रीमति शांति देवी पत्नि मनोहर लाल खटीक निवासी खटीक मौहल्ला, चित्तौड़गढ़

3 ग्राम पंचायत सहनवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सहनवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज. अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा आदेश ग्राम पंचायत सहनवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ पट्टा संख्या 20 दिनांक 05.07.2006

2 प्र. सं. 15/2013 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 06.11.2013

1 लेहरी बाई पुत्री भगवानलाल तेली निवासी हाल बोजुन्दा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

2 केसर बाई पुत्री भगवानलाल तेली निवासी हाल बोजुन्दा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

.....निगराकारगण

1 भैरूलाल पिता भगवानलाल तेली निवासी बोजुन्दा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

2 रामलाल पिता भगवानलाल तेली निवासी बोजुन्दा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

3 ग्राम पंचायत सहनवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सहनवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

4 श्रीमति शांति देवी पत्नि मनोहर लाल खटीक निवासी खटीक मौहल्ला, चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज. अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा आदेश ग्राम पंचायत सहनवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ पट्टा संख्या 20 दिनांक 05.07.2006

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

उपस्थिति : 1-श्री दिनेश कुमार मौड, अधिवक्ता, निगराकार
2-श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 03.09.2019

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत सहनवा द्वारा जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 05.07.2006, एक ही पट्टे के संबंध में दो अलग-अलग निगरानियां प्रस्तुत होने से प्र. सं. 13/13 (नि.पं.) एवं प्र. सं. 15/13 (नि.पं.) को समेकित किया जाकर बाद में प्रस्तुत निगरानी प्र. सं. 15/13 (नि.पं.) को पहले से दर्ज निगरानी प्र. सं. 13/13 (नि.पं.) के संलग्न/समेकित किये जाने के आदेश दिये गये। निगराकारान द्वारा निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत सहनवा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में आबादी भूमि में निहित पुराने गृहों का पट्टा प्रारूप में पट्टा संख्या 20 दिनांक 05.07.2006 जारी किया जिसके पड़ौस निम्न है:-

पूर्व में	:-	हंसराज	पश्चिम में	:-	आम रास्ता
उत्तर में	:-	बरदु जाट	दक्षिण में	:-	चतुर्भुज

उक्त पट्टे वाले भूखण्ड के संबंध में निगराकार एवं विपक्षी संख्या 1 के मध्य विवाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) चित्तौड़गढ़ में चला। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने पंचायत एक्ट में दिए गए अनिवार्य प्रावधानों का कोई पालन नहीं किया है जो कानूनी प्रकिया अपनाई जाती है वो नहीं अपनाई गई है। उक्त पट्टा न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में विपक्षी संख्या 3 ग्राम पंचायत सहनवा द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 20 दिनांक 05.07.2006 निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट एवं विपक्षीया श्रीमति शांति देवी खटीक जो एक प्रकरण में वि. सं. 2 तथा दूसरे प्रकरण में वि. सं. 4 है की ओर से अधिवक्ता श्री सावन श्रीमाली ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। दौराने बहस विपक्षीया श्रीमति शांति देवी खटीक एवं उनके अधिवक्ता भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। ग्राम पंचायत से तलबीदा रेकार्ड प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुन, प्रकरण गुणावगुण के आधार पर देखा गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता निगराकार ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 3 ग्राम पंचायत सहनवा से मिलीभगत कर एक पट्टा संख्या 20 दिनांक 05.07.2006 प्राप्त किया जो न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। जिन पड़ौसों के मध्य वाले भूखण्ड का ग्राम पंचायत ने विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया है उस विवादित पट्टे वाले भूखण्ड के संबंध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) चित्तौड़गढ़ में निगराकार एवं विपक्षी संख्या 1 के मध्य में वाद चला कि उक्त भूखण्ड निगराकार के पिता भगवान लाल से निगराकार को वसीयत से प्राप्त हुआ, लेकिन पिता भगवान लाल की मृत्यु के पश्चात् निगराकार का भी एक्सीडेंट हो जाने से जिसका फायदा उठाकर विपक्षी संख्या 1 ने उक्त भूखण्ड पर कब्जा कर लिया उक्त कब्जा विपक्षी संख्या 1 भैरू से लेने के लिए कब्जेयाबी का वाद विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद के लिखित जवाब में विपक्षी संख्या 1 भैरूलाल ने बताया कि उक्त पड़ौसों के मध्य स्थित भूखण्ड पैतृक है जो विरासत से बाप-दादाओं से प्राप्त हुआ है विपक्षी व निगराकार के पिता भगवानलाल की स्वअर्जित जायदाद नहीं है उक्त भूखण्ड पैतृक होकर भगवानलाल जी को भी उनके पिता से प्राप्त हुआ। इस प्रकार के तथ्य विपक्षी संख्या 1 भैरूलाल ने सिविल न्यायालय में प्रकरण संख्या 14/1998 सीओ के लिखित जवाब की कलम संख्या 2 में अंकित किया है इसलिए विपक्षी भैरूलाल अपने जवाब की प्लीडिंग से पूर्णतया बाध्य है। उक्त भूखण्ड पैतृक होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत सहनवा से विपक्षी संख्या 1 ने उसके तथा निगराकार के नाम पर बापी पट्टा जारी नहीं करवा कर ग्राम पंचायत से मिली भगत कर विपक्षी संख्या 1 ने अपने नाम पर पट्टा संख्या 20 पुराने गृहों का विनियमितिकरण के आधार पर नियम 157 के तहत जारी करवा लिया जबकि पैतृक जायदाद/भूखण्ड पर सभी संतानों का हक होता है इन सभी तथ्यों को छुपाकर पट्टा जारी करवाया है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत एक्ट में दिए गए अनिवार्य प्रावधानों की कोई पालना नहीं की है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की, कोई आपत्तियां आमंत्रित नहीं की, जबकि ग्राम पंचायत के लिए यह जरूरी है कि पंचायत राज नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को पट्टा जारी करने से पूर्व उसके संबंध में आपत्तियों को आमंत्रित करने की सार्वजनिक सूचना जारी करे इस प्रकार पंचायत ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 20 जारी किया है। विपक्षी संख्या 1 ने राज्य सरकार एवं सब रजिस्ट्रार को धोखा देकर उक्त अनाधिकृत पट्टे को विपक्षी संख्या 2 श्रीमति शांति देवी को बेचकर उसके नाम रजिस्ट्री करवा दी जो कि दिनांक 27.06.212 को हुई है। इस प्रकार अनाधिकृत रूप से जारी पट्टा शुरू से ही वैध शून्य है और वैध शून्य पट्टे का पंजीयन एवं बिकाव भी वैध शून्य है। अतः विपक्षी संख्या 1 के नाम पर जो विधि-विपरीत पट्टा जारी किया गया है वह निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर तथाकथित पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि निगराकार एवं विपक्षी संख्या 1 एक ही पिता की संताने होना स्वीकार है ग्राम पंचायत ने विधिवत् प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया है। उक्त विवादित पट्टे वाले भूखण्ड से निगराकार का कोई ताल्लुक, सरोकार संबंध नहीं है। ग्राम पंचायत से कोई मिलीभगत कर पट्टा जारी नहीं कराया है। इस भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का प्रारम्भ से कब्जा रहा है और पुराने कब्जे के आधार पर ही पट्टा बनाया है। उक्त भूखण्ड का विवाद निगराकार एवं विपक्षी संख्या 1 के मध्य न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व. ख.) चित्तौड़गढ़ में चला जिसका निर्णय विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में हुआ है। निगराकार का एक्सीडेंट हो जाने से फायदा उठाकर कब्जा करने का तथ्य मनगढन्त है। चूंकि उक्त भूखण्ड भगवान लाल जी का नहीं है इसलिए निगराकार का कोई स्वत्व अधिकार इस भूखण्ड मे नहीं है। पंचायत एक्ट के सभी प्रावधानों की पालना की जाकर पट्टा जारी किया गया है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 को विधि सम्मत प्रक्रिया से भूखण्ड का विक्रय किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हुई है। अतः निगरानी खारीज फरमाई जावे।

विपक्षी संख्या 2 श्रीमति शांति देवी ने जवाब प्रस्तुत किया कि निगराकार एवं विपक्षी संख्या 1 एक ही पिता की संताने होना स्वीकार है शेष तथ्य स्वीकार नहीं है। ग्राम पंचायत सहनवा ने पुराने गृहों का विनियमितिकरण के आधार पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 20 जारी किया है जिस पर निगराकार का कब्जा नहीं होकर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा है निगराकार द्वारा विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध कब्जेयाबी का दावा प्रकरण संख्या 14/98 सीओ पेश किया जो दिनांक 17.11.2003 को वाद खारीज हुआ है। पंचायत ने आपसी बातचीत कर उक्त भूखण्ड की विधिवत सार्वजनिक सूचना जारी की है उसके पश्चात् पट्टा जारी किया है। विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी सं 2 को सब रजिस्ट्रार साहब के यहां स्वयं उपस्थित होकर भूखण्ड विक्रय कर कब्जा सौंपा है उक्त विक्रय पत्र 5670/- शुल्क स्टाम्प पर दिनांक 27.06.2012 को निष्पादित कराकर कब्जा दिया तब से विपक्षी संख्या 2 काबिज होकर उक्त भूखण्ड का उपयोग-उपभोग कर रही है। अतः निगरानी मय हर्जे-खर्चे खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं ग्राम पंचायत सहनवा से प्राप्त रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। जिसके अनुसार ग्राम पंचायत के आज्ञाओं की सूची दिनांक 20.04.2006 के द्वारा मौका निरीक्षण हेतु श्री शम्भूलाल, श्री हजारीलाल एवं श्रीमति गुडी बाई तीन पंचो की कमेटी मय सचिव के गठित की गई है जबकि तैयार किये गये मौका निरीक्षण पत्र पर जिन तीन पंचो को रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है उनमे से केवल दो पंचों श्री शम्भूलाल सुथार एवं श्री हजारीलाल के ही हस्ताक्षर है जबकि अन्य अधिकृत पंच गुडी बाई के निरीक्षण रिपोर्ट/निरीक्षण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं है तथा यह निरीक्षण रिपोर्ट कब तैयार की गई है उस पर कोई दिनांक भी अंकित नहीं है तथा न ही सचिव के हस्ताक्षर हैं।

उक्त विवादित भूखण्ड के पट्टा संख्या 20 दिनांक 05.07.2006 के संबंध में एक अन्य प्रकरण में जिसके प्रकरण संख्या 15/13 हैं, के माध्यम से निगराकार एवं विपक्षी संख्या 1 की बहिनों लेहरी बाई एवं केसर बाई पिता

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भगवानलाल तेली ने विपक्षी संख्या 1 एवं निगराकार के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है जिसे उक्त प्रकरण संख्या 13/13 के समेकित करने के आदेश पारित किए गए हैं। निगराकार एवं विपक्षी संख्या 1 के मध्य सिविल न्यायालय (व. ख.) चित्तौड़गढ़ में कब्जेयाबी के चले वाद संख्या 14/98 सी. ओ. के निर्णय दिनांक 17.01.2003, उक्त वाद में विपक्षी संख्या 1 द्वारा पेश किए गए जवाब एवं उसके बयानों का अवलोकन किया गया जिसमें विपक्षी संख्या 1 ने विवादित भूखण्ड भगवानलाल जी की स्वअर्जित जायदाद नहीं होकर भगवानलाल जी के पिता किशनलाल जी की जायदाद होना स्वीकार किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त विवादित भूखण्ड पैतृक होने की पुष्टि होती है।

ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्रावली/रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पूर्ण जांच नहीं कर मात्र कागजी खानापूर्ति की है। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु एक माह का सूचना पत्र जारी करने का प्रस्ताव आज्ञाओं की सूची अनुसार दिनांक 05.05.2006 को पारित किया गया है जबकि मिसल में उपलब्ध आपत्तियां आमंत्रित करने का सूचना-पत्र को देखने से स्पष्ट है कि वह दिनांक 14.04.2006 को प्रस्ताव पारित होने से पूर्व ही जारी किया जा चुका है तथा उक्त सूचना पत्र दिनांक 14.04.2006 को ग्राम के सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कराने संबंधी कोई साक्ष्य/सबूत पत्रावली में उपलब्ध नहीं है तथा न ही उक्त सूचना पत्र पर किसी व्यक्ति की उपस्थिति में चस्पा कराने अथवा चस्पा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर है।

ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पारिवारिक सजरे अनुसार परिवार के सभी सदस्यों की सहमति भी प्राप्त नहीं की गई है और पुराने कब्जे के आधार पर, पुराने गृहों का विनियमितिकरण के नाम पर नियम 157 के तहत 50 वर्षों के दौरान का कब्जा मानते हुए विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया है जबकि पुश्तैनी/ऐसा पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत को सभी परिवार के सदस्यों से सहमति प्राप्त करनी चाहिये थी अथवा पट्टा जारी करने से पूर्व उन्हें सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था जो कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने नहीं किया है तथा न ही ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत ग्राम पंचायत सहनवा की पत्रावली में मौजूद है। उक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 05.07.2006 को पट्टा जारी करने की कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है।

निष्कर्षतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सहनवा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा कमांक 20 दिनांक 05.07.2006 निरस्त किया जाता है। चूंकि प्रकरण संख्या 15/13 (नि.पं.) उनवान लेहरीबाई पुत्री भगवानलाल तेली वगैरा बनाम भैरूलाल पिता भगवानलाल तेली वगैरा को इस प्रकरण के समेकित के आदेश दिए गए हैं अतः उक्त निर्णय की प्रति प्र. सं. 15/13 (नि.पं.) में भी संलग्न की जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official